न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 50/2019

1–प्रदीप कुमार मिततल पुत्र श्री प्रहलादराम मिततल जाति महाजन निवासी सीकर हाल निवासी नांवा तहसील नांवा जिला नागौर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री वी.पी.सिंह राठौड़ व नेमीचन्द शर्मा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नांवा बनाम प्रदीप कुमार मित्तल, मु0सं0 32/19 निर्णय दिनांक : 05.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :01.02.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 32/2019 सरकार बनाम प्रदीप कुमार मित्तल में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार बनाकर अतिक्रमण करने व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

91 (3) के तहत अप्रार्थी को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली का तथा लगान दर से 112 रू0 अक्षरे एक सौ बारह रू0 की शास्ती आरोपित की गयी। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में विक्रय पत्र की फोटो प्रति, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 32/2019 सरकार बनाम प्रदीप कुमार मित्तल के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट, फर्द बेदखली, नोटिस,पटवारी बयान, गिरफतारी वारण्ट,बेचाननामा की प्रतियॉ पेश की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.07.2019 की पेशी हेतु जारी किया गया । उक्त नोटिस अपीलार्थी को कभी नहीं मिला एवं उक्त नोटिस पर अपीलार्थी का स्थायी पता ग्राम सीकर पर जारी किया गया नोटिस की तामिल आबाद मकान पर चस्पानगी में बताया गया ।

{2}(3) – यह है क उक्त नोटिस पर दो मोतबरान रामूराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी निवासी नांवा के होना बताया गया है, जबकि नियमानुसार दो मौतबीरान के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है तथा अपीलार्थी के गांव में करीब 50–60 किमी दूर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

के व्यक्ति है। उक्त नोटिस चस्पानगी द्वारा कानून के विरूद्ध जाकर करवाये है, जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तरीके से नहीं दी गई एवंम न ही अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की लेस मात्र जानकारी ही थी। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी दैनिक अखबार द्वारा दिनांक 06.07.2019 को ही प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर केवल राजनैतिक द्वैषता वशं निर्णय किया है, जो काबीले निरस्त है।

{2}(5) – यह है कि अपीलार्थी ने तत्काली खातेदार प्रमोद कुमार गोड से खसरा नम्बर 86/1 रकबा 02.10 हैक्टेयर भूमि को जरिये पंजिकृत विक्रय–पत्र के दिनांक 04.06.2009 को खरीद की एवम अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई, उक्त भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेजात अपील के साथ पेश है।

{2}(6) – यह है कि अपीलार्थीगण के नाम जितनी भूमि की लीजडीड जारी की हुई है, उससे अधिक या कसी भी सरकारी भूमि पर एक ईन्च भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। मौके पर अपीलार्थी का आज भी संबंधित कार्यालय में जारी नक्शा के अनुसार ही आज भी है। मगर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जानकारी व बिना किसी विधिक कार्यवाही किये ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया, जिससे भी यह स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(7) – यह है कि अपीलार्थीगण को उक्त प्ररकण के अलावा सम्वत् 2074 या कभी अतिक्रमण बाबत न तो नोटिस ही दिया, न ही अपीलार्थी ने कसी सरकारी भूमि पर ही अतिक्रमण किया था या है एवं पश्चातवर्ती निर्णय की पत्रावली भी उक्त पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

में नहीं आता है एवं उक्त प्रकरण संबंधि कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में भी नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(8) – यह है कि उक्त प्रकरण में पत्रावली में कभी भी बहस हेतु नियत नही की गयी एवं ऑडरशीट में बहस अन्तिम कभी भी नहीं लिखा हुआ है।जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक द्वेषता वंश उक्त निर्णय किया जो काबिले निरस्त है।

{2}(9) – यह है कि परिवादी हल्का पटवारी ने अपने परिवाद के समर्थन में बयान अवश्य लिखें है, मगर पटवारी हल्का ने बयान किस तारीख का एवम किस धारा में तथा उक्त बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा कोई दस्तावेज पश्चातवर्ती आदेश बाबत कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाये और बिना प्रदर्शित करवाये कोई भी दस्तावेज का कानूनन कोई महत्व नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा व भू0अ0निरीक्षक नावा की रिपोर्ट, अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण किया है, तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली संख्या 20/18 रिक्रार्ड पर उपलब्ध होने से साबित है कि अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ने 30.07.19 की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अनुसार मौके पर से अतिक्रमित रकबा से अतिक्रमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे राज भी ले लिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)